राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 01.04.2020

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालय, राज.।

विषयः– **कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों के लिए ईलाज की समस्त सुविधाऐं उपलब्ध कराने बाबत।**

राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों से संबंद्ध अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालयों में कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारी के रोगियों के लिए ओपीडी/आईपीडी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को देखते हुए समुचित रूप से संचालित नहीं की जा रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों के लिए ईलाज की समस्त सुविधाऐं जैसे कीमोथैरपी, रेडियोथैरपी, फोलो–अॅप एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाऐं संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा की समस्त आवश्यक सावधानियां बरतते हुए पूर्व की भांति यथावत उपलब्ध करवाई जावे।

1/4/2020
(रोहित कुमार सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
8. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 1.4.2020
शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner